न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 880/2024

अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र जोराराम जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर
2. कौशल्या पत्नि राकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर
3. चावली पत्नि शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर
4. दाखा पत्नि जोराराम जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर
5. प्रमेश्वरी पत्नि जोराराम जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर
6. राकेश कुमार पुत्र जोराराम जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता सा0नि0वि0 इगानप0 खण्ड नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 27/10/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 110/106 के ख.न. 325/1 की 5.8570 हैक्टर भूमि ख.न. 43की 5.7430 हैक्टर भूमि कुल तादी 11.6000 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 110/106 के ख.न. 325/1 की 5.8570 हैक्टर भूमि ख.न. 43की 5.7430 हैक्टर भूमि कुल तादी 11.6000 हैक्टर भूमि में वादी सं. 1 अकेला 30623/116000 हिस्सा, वादी सं. 2 अकेला 1771/116000 हिस्सा, वादी सं. 3 अकेला 1771/116000 हिस्सा, वादी सं. 4 अकेला 9667/116000 हिस्सा, वादी सं. 5 अकेली 9667/116000 हिस्सा, वादी सं. ७ अकेला 30623/116000 हिस्सा, भूमि के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 110/106 के ख.न. 325/1 की 5.8570 हैक्टर भूमि में से नोहर से धानसिया होते हुऐ सड़क गुरजती है एवं उपरोक्त सड़क वादियान के खेत मे से होकर निर्मित हो चुकी है तथा वादियान के खेत में से होकर नोहर से होकर धानसिया को जाती है परन्तु उपरोक्त ख.न. 325/1 के नजरी नक्शा में सड़क काटने नही किया गया जिसके कारण आने वाले समय वादियान को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 110/106 के ख.न. 325/1 की 5.8570 हैक्टर भूमि में से नोहर से धानसिया जाने वाली [illegible] नजरी नक्शा में से कम करवापाने के अधिकारी है इन्ही आशयो की [illegible] पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है। रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 110/106 [illegible] न. 325/2 की 5.8570 हैक्टर भूमि में से मिनकदेसर रोड़ पर सड़क दर्ज कर दी गई जबकि वहा पर वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनु0)

के खेत में कभी भी सड़क नही है एवं वादीगण के खेत में से ख.न. 325/1 मे से नोहर से धानसिया सड़क का निर्माण किया गया वही से सड़क का कहना गलत जगह कर दिया गया इसलिए वादीगण सड़का का ख.न. 325/2 की जगह ख.न. 325/1 में दुरूस्ती करवापाने का अधिकारी है। इन्ही आशयो की वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की मुताबिक सड़क तरमीम दुरूस्त कर देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादीगण घोषणा कि जावे कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 110/106 के ख.न. 325/1 की 5.8570 हैक्टर भूमि में से नोहर से धानसिया जाने वाली सड़क का नजरी नक्शा में से कटान करवापाने के अधिकारी है इन्ही आशयो की वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब इस आशय का पेश किया की डीआईएलआरएमपी के तहत तहसील ऑनलाईन करते वक्त ख0न0 325/1 से अवाप्त भूमि वास्ते सड़क का अंकन ख0न0 325/2 रकबा 0.4050 हैक्ट भूमि का अंकन ख0न0 329 गै0मु0 रास्ता के निकट सहवन से अंकन किया गया है। ख0न0 325/2 रकबा 0.4050 हैक्ट सड़क के नाम दर्ज है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बने नक्शा लठठा मे 325/2 की तरमीम का अंकन नही है ख0न0 325/2 की किस्म सड़क की तरमीम करवाने हेतु ख0न0 325/1 का सीमाज्ञान करने की आवश्यकता है लेकिन सीमाज्ञान में विवाद पैदा होने की पूर्ण सम्भावना है इसलिए ख0न0 325/1 का सीमाज्ञान भू प्रबन्धन विभा से करवाया जाकर ख0न0 325/2 की तरमीम मौका सड़क अनुसार किया जाना उचित है। प्रतिवादी स0 2 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 110/106 के ख.न. 325/1 की 5.8570 हैक्टर भूमि ख.न. 43की 5.7430 हैक्टर भूमि कुल तादी 11.6000 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं. 110/106 के ख.न. 325/1 की 5.8570 हैक्टर भूमि में से नोहर से धानसिया जाने वाली सड़क का नजरी नक्शा में तरमीम कर दर्ज की जावे जबकि उक्त भूमि ख0न0 325/1 में अवाप्त हुई है एवं सड़क ख0न0 325/2 में दर्शायी गयी है जो की गलत दशायी गयी है। जबकि तहसीलदार/पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक डीआईएलआरएमपी के तहत तहसील ऑनलाईन करते वक्त ख0न0 325/1 से अवाप्त भूमि वास्ते सड़क का अंकन ख0न0 325/2 रकबा 0.4050 हैक्ट भूमि का अंकन ख0न0 329 गै0मु0 रास्ता के निकट सहवन से अंकन किया गया है। ख0न0 325/2 रकबा 0.4050 हैक्ट सड़क के नाम दर्ज है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बने नक्शा लठठा मे 325/2 की तरमीम का अंकन नही है ख0न0 325/2 की किस्म सड़क की तरमीम करवाने हेतु ख0न0 325/1 का सीमाज्ञान करने की आवश्यकता है लेकिन सीमाज्ञान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

विवाद पैदा होने की पूर्ण सम्भावना है इसलिए ख0न0 325/1 का सीमाज्ञान भू प्रबन्धन विभा से करवाया जाकर ख0न0 325/2 की तरमीम मौका सड़क अनुसार किया जाना उचित है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आशिंक स्वीकार योग्य है। आंशिक स्वीकार किया जाता एवं तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि ख0न0 325/1 के मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मौके एवं अवाप्त भूमि की नियमानुसार सीमाज्ञान किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करे।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादीगण आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता एवं तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि पैमाईश टीम का गठन किय जाकर रोही मौजा खुंईया के ख0न0 325/1 के मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मौके एवं अवाप्त भूमि की नियमानुसार पैमाईश की जाकर सड़क का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 880/2024

अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र जोराराम जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर
2. कौशल्या पत्नि राकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर
3. चावली पत्नि शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर
4. दाखा पत्नि जोराराम जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर
5. प्रमेश्वरी पत्नि जोराराम जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर
6. राकेश कुमार पुत्र जोराराम जाति ब्राहमण निवासी खुईया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता सा0नि0वि0 इगानप0 खण्ड नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 880 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/10/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादीगण आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता एवं तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि पैमाईश टीम का गठन किय जाकर रोही मौजा खुंईया के ख0न0 325/1 के मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मौके एवं अवाप्त भूमि की नियमानुसार पैमाईश की जाकर सड़क का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested